कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 624 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून,अगस्त 24 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषयः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत शम्भू की चौकी से ददऊ –पंजिया –बनसार –तुरउ तक विस्तार कि0मी0 2 से 11 तक मार्ग निर्माण हेतु अपेक्षित 1.8536 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भः– आपका पंत्राक 497/ 12–1 दिनांक 13–8–2015 (**FP/UK/ROAD/ 10464 /2015**)

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयाकिंत प्रस्तावित मोटर मार्ग में वांछित सिविल वन भूमि 1.8536 हेक्टर के संबंध में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 70 में लैन्ड शैड्यूल (सिविल सोयम भूमि) में मौजा स्थल का नाम, खसरा नं0, कुल रकबा, तथा प्रस्तावित मार्ग हेतु संबंधित रकबा में ली जाने वाली वांछित भूमि का क्षेत्रफल दर्शाया जाना अपेक्षित है, किन्तु आपके स्तर से वांछित सिविल भूमि के संबंध में संगत दस्तावेज ऑन लाईन अपलोड नहीं किया गया है।

अतः उक्त दस्तावेज तत्काल अपलोड करवा कर उक्त की हार्ड प्रति भी साथ–साथ उपलब्ध करवायें। इस ओर प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाय, क्यों कि इस मार्ग के प्रस्ताव में पूर्व ही काफी विलम्ब हो चुका है एवं बार–बार अधूरा प्रस्ताव भेजने के कारण अनावश्यक पत्राचार करना पड़ रहा है,जो बहुत ही चिन्ता का विषय है।

भवदीय,

संलग्नक–यथोपरि ।

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून।

प्रतिलिपि –अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अस्थाई खण्ड, साहिया, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून।